

Millennium Post- 06- June-2022

Flood situation in Assam improves

GUWAHATI: The flood situation in Assam improved significantly on Sunday although over 40,700 people are still affected in two districts, an official bulletin said.

According to the daily flood report of the Assam State Disaster Management Authority (ASDMA), more than 40,700 people were suffering in Cachar and Morigaon districts.

Morigaon is the worst hit with over 30,400 people affected, followed by Cachar (10,300).

Till Saturday, over 68,500 people were suffering in four districts. A total of 38 people have died in the state this year due to floods and landslides.

At present, 137 villages have been inundated and 6,029.50 hectares of farmlands damaged, the bulletin said.

Authorities are running seven relief camps and distribution centres in three districts, where 705 people, including 165 children, are taking shelter. The authorities have distributed 423.37 quintals of rice, dal, salt and other flood relief items.

Massive erosions have taken place in Dhubri, Nalbari, Sonitpur, Tinsukia and Udalguri districts. Embankments, roads, bridges and other infrastructure have been damaged by flood waters in Kokrajhar, Nagaon and Morigaon, ASDMA said.

AGENCIES

The Hindu- 06- June-2022

Rivers facing heavy pollution: CSE

Heavy toxic metals such as lead, iron, nickel present at alarming levels, says NGO

JACOB KOSHY
NEW DELHI

Three of every four river monitoring stations in India posted alarming levels of heavy toxic metals such as lead, iron, nickel, cadmium, arsenic, chromium and copper.

In about a fourth of the stations, which are spread across 117 rivers and tributaries, high levels of two or more toxic metals were reported.

Of the 33 monitoring stations in the Ganga, 10 had high levels of contaminants. The river, which is the focus of the Centre's Namami Gange mission, has high levels of lead, iron, nickel, cadmium and arsenic, according to the State of Environment Report, 2022 from the environmental NGO, the Centre for Science and Environment (CSE).

The report is an annual compendium of environment-development data and is derived from public sources.

India has 764 river quality monitoring stations across



High pollution: Of the 33 monitoring stations on the Ganga, 10 had high levels of contaminants. ■ R.V. MOORTHY

28 States. Of these, the Central Water Commission tested water samples from 688 stations for heavy metals between August 2018 and December 2020.

Of the 588 water quality stations monitored for pollution, total coliform and biochemical oxygen demand was high in 239 and 88 stations across 21 States – an indicator of poor wastewater treatment from industry, agriculture and domestic households.

India dumps 72% of its sewage without treatment. Ten States do not treat their

sewage at all, as per the Central Pollution Control Board.

Coastline erosion

Over a third of India's coastline that is spread across 6,907 km saw some degree of erosion between 1990 and 2018. West Bengal is the worst hit with over 60% of its shoreline under erosion.

The reasons for coastal erosion include increase in frequency of cyclones and sea level rise and activities such as construction of harbours, beach mining and building of dams.

While the global average

of the Ocean Health Index, a measure that looks at how sustainably humans are exploiting ocean resources, has improved between 2012 and 2021, India's score in the index has declined over the same period, the CSE report underlines. India's total forest cover has registered a little over a 0.5% increase between 2017 and 2021 though most of the increase has taken place in the open forest category, which includes commercial plantations. This has happened at the cost of moderately dense forest, which is normally the area closest to human habitations. At the same time, very dense forests, which absorb maximum carbon dioxide from the atmosphere, occupy just 3% of total forest cover.

India has a forest cover of 77.53 million hectares. But recorded forests – the area under the forest department – are only 51.66 million. This gap of 25.87 million hectares – a size bigger than U.P. – remains unaccounted, the organisation noted.

The Pioneer- 06- June-2022

भारत, चीन और नेपाल के जल क्षेत्रों में 40% की वृद्धि

● असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सामने गहराया संकट

एजेंसी। नई दिल्ली

भारत, चीन और नेपाल में पच्चीस हिमनद झीलों और जल निकायों के क्षेत्रफल में 2009 के बाद से 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इससे सबसे अधिक खतरा भारत के पांच राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के सामने खड़ा है। हालिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएसई की रिपोर्ट के



प्रतीकात्मक चित्र

अनुसार, बढ़ते जल क्षेत्रों से असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामने संकट की स्थिति है। हालाँकि यह केवल जल प्रसार में वृद्धि का विषय नहीं है। स्टेट ऑफ ईंडियाज एनवायरनमेंट 2022: इन फिगरस शीर्षक वाली रिपोर्ट में

प्रकाशित आंकड़े चिंताजनक कहानी बयां करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के समुद्र तट के एक तिहाई से अधिक में 1990 और 2018 के बीच कुछ हद तक कटाव देखा गया है। पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक 60 प्रतिशत तटरेखा कटाव का साना कर रही (शेष पेज 8)

Jansatta- 06- June-2022

बांधों की सुरक्षा को लेकर उदासीन हैं राज्य

बांध सुरक्षा अधिनियम : अब तक सिर्फ छह राज्यों में ही समिति और संगठन का गठन

नई दिल्ली, 5 जून (भाषा)।

देश में बांधों की सुरक्षा का कानून लागू होने के पांच महीने गुजरने के बाद भी अब तक केवल छह राज्यों ने ही इसमें निर्धारित राज्य बांध सुरक्षा संगठन एवं समिति का गठन किया है। ऐसे में जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही मंत्रालय जल्द ही बांध सुरक्षा से जुड़े पक्षकारों के साथ संवाद भी करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम में कानून लागू होने के 60 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकार एवं राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति स्थापित करने तथा छह महीने में राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) एवं राज्य बांध सुरक्षा समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है।

वहीं, जल शक्ति मंत्रालय बांधों की सुरक्षा के विषय पर जागरूकता एवं संवाद कायम करने के लिए 16 जून को राज्यों, संबंधित विभागों एवं अकादमिक संस्थानों की एक कार्यशाला आयोजित करने जा रहा है।

मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम 30 दिसंबर 2021 से लागू हो गया है। इसके बाद फरवरी 2022 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकार एवं समिति का गठन हो गया है। हालांकि, इसे वास्तविक आकार लेने में अभी समय लगेगा। उन्होंने कहा, 'अब तक केवल छह राज्यों ने ही राज्य बांध सुरक्षा संगठन और राज्य बांध सुरक्षा समिति का गठन किया है।' अधिकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और नगालैंड ने राज्य बांध सुरक्षा संगठन एवं समिति का गठन किया है। वहीं, कर्नाटक ने केवल राज्य बांध सुरक्षा संगठन का गठन किया है।

Rashtriya Sahara- 06- June-2022

जलाशयों के जल प्रसार से पांच राज्यों, दो केंद्रशासित प्रदेशों को गंभीर खतरा : सीएसई

नई दिल्ली (भाषा)। भारत, चीन और नेपाल में 25 हिमनद झीलों और जलाशयों के जल प्रसार क्षेत्रों में 2009 के बाद से 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे पांच भारतीय राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। एक नई रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट के अनुसार, जिन सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को खतरा है, वे हैं-असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख। हालांकि, यह केवल जल प्रसार में वृद्धि का विषय नहीं है। 'स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2022 : इन फिगर्स' नामक रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़े चिंताजनक कहानी

■ असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में स्थिति चिंताजनक

बयां करते हैं। इसमें कहा गया है कि 1990 और 2018 के बीच भारत के एक तिहाई से अधिक तटरेखा में कुछ हद तक कटाव देखा गया है। पश्चिम बंगाल सबसे बुरी तरह प्रभावित है, जिसकी 60 प्रतिशत से अधिक तटरेखा भूमि के कटाव होने से प्रभावित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि तथा मानवजनित गतिविधियां, यथान्दरगाहों का निर्माण, समुद्र तट पर खनन और बांधों का निर्माण तटीय कटाव के कुछ कारण हैं।

Rashtriya Sahara- 06- June-2022

अब तक सिर्फ छह राज्यों में ही समिति और संगठन का गठन

नई दिल्ली (भाषा) । देश में बांधों की सुरक्षा का कानून लागू होने के पांच महीने गुजरने के बाद भी अब तक केवल छह राज्यों ने ही इसमें निर्धारित राज्य बांध सुरक्षा संगठन एवं समिति का गठन किया है। ऐसे में जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही मंत्रालय जल्द ही बांध सुरक्षा से जुड़े पक्षकारों के साथ संवाद भी करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम में कानून लागू होने के 60 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकार एवं राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति स्थापित करने तथा छह महीने में राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) एवं राज्य बांध सुरक्षा समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है।

बांध सुरक्षा अधिनियम

■ जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर प्रक्रिया तेज करने को कहा

वहीं, जल शक्ति मंत्रालय बांधों की सुरक्षा के विषय पर जागरूकता एवं संवाद कायम करने के लिए 16 जून को राज्यों, संबंधित विभागों एवं अकादमिक संस्थानों की एक कार्यशाला आयोजित करने जा रहा है। मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, 'राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम 30 दिसंबर 2021 से लागू हो गया है। इसके बाद फरवरी 2022 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकार एवं समिति का गठन हो गया है।

Rajasthan Patrika- 06- June-2022

रिपोर्ट: नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा **जलाशयों का दायरा बढ़ने** **से 5 राज्यों को गंभीर खतरा**

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. भारत, चीन व नेपाल में 25 हिमनद झीलों और जलाशयों का जल प्रसार क्षेत्र 2009 के बाद से 40 प्रतिशत अधिक बढ़ा है। इससे भारत के पांच राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायर्नमेंट (सीएसई) की नई रिपोर्ट के अनुसार देश के जिन सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खतरा है, वे असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हैं।

एक-तिहाई तटों पर **कटाव आया**

रिपोर्ट में कहा है, 1990 व 2018 के बीच देश की एक-तिहाई से अधिक तटरेखा में कुछ हद तक कटाव देखा गया है। इसमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है। इसकी 60% से ज्यादा तटरेखा भूमि में कटाव आ गया है। देश की 117 नदियों व सहायक नदियों में फैले एक-चौथाई निगरानी स्टेशन पर उच्च स्तर पर प्रदूषण मिला है। गंगा के 33 निगरानी केंद्रों में से 10 में प्रदूषण का स्तर ज्यादा है।

Rajasthan Patrika- 06- June-2022

विश्व पर्यावरण दिवस का राज्यस्तरीय समारोह

साबरमती-कांकरिया तालाब के पानी की होगी रियल टाइम मॉनीटरिंग



पत्रिका

हरियाली से
खुशहाली

जीपीसीबी के सूरत, सरीगाम और अंकलेश्वर प्रादेशिक कार्यालय, 'व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम' का लोकार्पण

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

अहमदाबाद, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) ने 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से साबरमती, महीसागर, तापी, दमणगंगा नदियों और अहमदाबाद कांकरिया तथा थोळ झील पर रियल टाइम ऑनलाइन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किया है।

इस पर काम भी जारी है। इससे नदियों और तालाबों के पानी की गुणवत्ता पर रियल टाइम निगरानी रखते हुए उसे सुधारने के सटीक कदम उठाए जा सकेंगे। यह जानकारी रविवार को विश्व



पर्यावरण दिवस के अवसर पर अहमदाबाद में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दी गई।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जीपीसीबी के सूरत, सरीगाम, अंकलेश्वर प्रादेशिक कार्यालय भवनों तथा एमिशन ट्रेडिंग स्कैम का वर्चुअल लोकार्पण किया। उन्होंने खतरनाक कचरे के परिवहन पर नजर रखने के लिए तैयार किए गए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का भी लोकार्पण किया।

स्वागत भाषण

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री जगदीशभाई विश्वकर्मा ने उद्योगों से हमारे धर्मस्थलों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की मुहिम में आगे आने की

अपील भी की। वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार सोलंकी ने स्वागत भाषण दिया।

सीएम ने प्लास्टिक कचरे के एकत्रीकरण और निस्तारण की मुहिम में सक्रिय योगदान देने वाले उद्योगों एवं संस्थानों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में महापौर किरीट कुमार परमार, विधायक अरविंदभाई पटेल, मनपा आयुक्त लोचन शहरे, जीपीसीबी चेयरमैन आर.बी. बारड, फेडरेशन ऑफ इंडिया के कांतिभाई पटेल, गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स के हेमंत शाह, कई उद्योगपति, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंतागण और अग्रणी उपस्थित रहे।

सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा

जीपीसीबी के विभिन्न प्लेटफार्म की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की रियल टाइम जानकारी को एक ही प्लेटफार्म पर लाकर मॉनिटरिंग, चेक, वार्निंग- अपडेट्स के साथ बोर्ड को ज्यादा कुशलता एवं पारदर्शी तरीके से कम मानवबल के साथ प्रदूषण नियंत्रण करने में सक्षम बनाने के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये के खर्च से सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इससे तुलनात्मक ग्राफिकल डेटाबेज से रिसर्च एवं डेवलपमेंट को भी गति मिलेगी। इसके अलावा, बोर्ड की ओर से वीएलटीएस (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम) कार्यरत किया

गया है। इस सिस्टम के क्लोज लूप के माध्यम से खतरनाक कचरे के प्रबंधन पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। जीपीसीबी ने हेल्प डेस्क व्यवस्था भी शुरू की है। जिसमें राज्य के चैम्बरों के मार्फत 10 से अधिक औद्योगिक एसोसिएशनों में कानूनी तथा सरकारी नियमों का मार्गदर्शन दिया जाएगा। जीपीसीबी ने उद्योगों की समस्याओं तथा उनके मुद्दों के स्थानीय स्तर पर निराकरण के लिए हर महीने के तीसरे बुधवार को दोपहर 3 से 5 बजे के दौरान राज्य के सभी प्रादेशिक कार्यालयों में ओपन हाउस के आयोजन की घोषणा की है।

पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम में सहभागी बनने

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिवस हमारे अतीत पर दृष्टि डालते हुए वर्तमान स्थिति के उपायों के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल ऊर्ज्वल भविष्य की नई राह बनाने का अवसर है। सीएम ने राज्य के उद्योगों को भी पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण की

रोकथाम के साथ विकास में सहभागी बनने का अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के उद्योगों के प्रयासों में उनके साथ है। उनके उचित एवं वाजिब मुद्दों के लिए मुख्यमंत्री या पर्यावरण मंत्री के द्वारा खुले हैं।